OFFICE OF THE DISTRICT COLLECTOR DISTRICT TEHRI GARHWAL (UTTARAKHAND)

Proceding of the meeting of the District Level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act (FRA) 2006.

A meeting of the District Level Committee Tehri Garhwal District. Constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Shri Yugal Kishor Pant I.A.S. District Collector Tehri Garhwal at New Tehri in which the applicant claiming rights in Kirtinagar Block area measuring 0.99 Hectare for the construction of Lostu-Ghandiyal-Hondu to Ringoli Motor Road in Tehsil Devprayag of forest land under FRA 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the Sub Division Level Committee of Kirtinagar Sub Division were discussed to consider the same for admission by the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions no objection/claims were found to have been made and hence District Level Committee recommended the above case for diversion for land for the said purpose.

Place :- Tehri

14:- 12/03/2015

District Collector Cum chairman (युगल किशोर पन्त)

District Tehri Garhwal

FORM-I

(For linear Projects)

Government of **Uttarakhand**Office of the District Collector **Tehri Garhwal**

No.

Dated ... 12/03/2015

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and forest (MoEF), Government of India letter No. 11-9/98-FC (pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having intiated and completed the process of settelement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act 2006 (FRA for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEFs letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 0.99 hact. of forest land proposed to be deverted in favour of Public Works Department, Kirtiangar for Construction of Lostu-Ghandiyal-Hondu to Ringoli Motor Road in Tehri Garhwal District falls within jurisdiction of Hondu Villages in Devprayag tehsils.

It is further certified that:

- a) the complete process for indetification and settlement of right under it FRA has been carried out for the entire 0.99 hact. of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultation and meetings of the forest Rights Committees, Gram Sabha, Sub Division Level Committees and the District Level Committee are enclosed as annexure 23 to annexure 23.2
- b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabha have given their consent to it.
- c) the proposal does not invole recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural Communities.

Encl: As above

Signature

(Yargal Higher Rapt)

हिहरी गढ़वाल

It is further certified that – Minutes of meeting of Lostu Ghandiyal-Hondu to Ringoli Motor Road (1.650 km.) regarding FRA is as following.

Sr. No.		Remarks
(a)	The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.99 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meeting of the forest rights committee(s), Gram Sabha(s), Sub- Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure to annexure.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to schedules tribes and other traditional forest Dwellers.
(b)	The Diversion of Forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to schedules tribes and other traditional Forest Dwellers. No objection certificate of concerned villages regarding construction of aforesaid motor road is attached.
(c)	The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and Preagricultural communities.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to schedules tribes and other traditional Forest Dwellers.

२१७) २ वरी जोशी

जिला पंचायत सदस्य

टिह्**भेला गुँ**नायत जिला योजना समिति चिलेडी बडियारगढ़ (टि0 ग0) जिला समाज कल्याण अधिकारी

Q Elgnot

टिहरी गढ़वाल

प्रमागीय वनाधिकारी

नरेन्द्रनगृर्वन प्रभाग

मुनि की रती(टिहरी गढ़वाल)

Signature (Yugal Kishor Pant) (युगल किशोर प जिलाधिकार टिहरी गढक


प्रारूप —1.90, भू—अर्जन प्रमाण—पत्र ग्राम पंचायत का नाम— रिंगोली मल्ली तहसील देवप्रयाग, जिला टिहरी गढ़वाल

परियोजना का नाम— राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढवाल के विकासखण्ड़ कीर्तिनगर में लोस्तु—घण्डियाल—हौन्दू से रिंगोली मोटर मार्ग का नव निर्माण हेतु पडने वाली वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

स्वीकृति संदर्भः — 288 / लो०नि०—2 / 04—15 (प्रा०आ०) / 2004 दिनॉक 27 फरवरी 2004 जनपद टिहरी गढवाल में विकासखण्ड़—कीर्तिनगर के अन्तर्गत राज्य योजना से लोस्तु—घण्डियाल—हौन्दू से रिंगोली मोटर मार्ग का नव निर्माण हेतु उपरोक्त शासनादेश द्वारा प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हुई है।

प्रखण्ड़ टिहरी गढवाल परिक्षेत्र के अन्तर्गत राज्य योजना के अन्तर्गत लोस्तु—घण्डियाल—हौन्दू से रिगोली मोटर मार्ग के नव निर्माण के लिए 0.000 है0 आरिक्षत वन भूमि, 0.99 है0 सिविल सोयम वन भूमि, 0.000 है0 वन पंचायत भूमि, (अर्थात् कुल—0.99 है0) का अस्थाई खण्ड़ लोक निर्माण विभाग—श्रीनगर,मुख्यालय—कीर्तिनगर प्रयोक्ता ऐजन्सी के पक्ष में भारत सरकार,पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। तथा बाकि नाप भूमि है0 ग्राम पंचायत—रिंगोली तल्ली के काश्तकारों से देना प्रस्तावित है।

प्रमाणित किया जाता है। कि प्रस्तावित नाप भूमि को सम्बंधित काश्तकारों से नियमानुसार सहमति से अथवा अर्जित कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध करा दी जायेगी एवं प्रश्नगत मोटर मार्ग निर्माण बाधित नहीं होगा।



परियोजना का नाम:- लास्तु- घण्डियाल - टीन्यू से रिगोली कोर कारा

कार्यालय उप जिलाधिकारी, कीर्तिनगर अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण-पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति की विनगर

उपखण्ड कीर्तिनगर परिक्षेत्र के अन्तर्गत लास्त हिन्द से रिगोली मारर काम (— हें आरक्षित वन भूमि, ०.९९ हें सिविल एवं सोयम वन भूमि — हें वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल ०.९९ हें वन भूमि) का लोक निर्माण विमाग कीर्तिनगर प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील देकप्रमण्) की दिनांक २०१० को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः—

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री रीपेन्द्र स्थिति के उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1- श्री डीपे-द्र सिंह नेगी	उपजिलाधिकारी	अध्यक्ष	
2- 别	उप प्रभागीय वनाधिकारी	सदस्य	
	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य / सचिव	1.
4- शामता के मला हैन के डार्	बी०डी०सी० क्षेत्र	सदस्य	00 -

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि मोटर मार्ग के लोस्त द्वार्वे बाल हिन्दू से रिगेलेमोटर मार्ग परियोजना हेतु ०.११ है० वन भूमि लोक निर्माण विभाग कीर्तिनगर प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

सबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी द्वेजप्रमण उपवन प्रभाग नरे दुनगर बने प्रभाग द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मित से उपखण्ड कीर्तिनगर परिक्षेत्र के अन्तर्गत होन्द्र से रिगोली मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु ०.९९ है० वन भूमि लोक निर्माण विभाग कीर्तिनगर प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमित प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमित व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी / अक्ष्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति तहसील — उत्प्रयाश जनपद रिट्टी शहुशाल

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही

हेतु।

उप जिलाधिकारी / अक्ष्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति तहसील— <u>रूप्रभाग</u>

जनपद रिट्री गढवाल

परियोजना का नाम- लोस्त- छाि०डयाल- हीन्द्र से रिगोली त्रोटर् क्रांग,

24|01|295 दिनाक २२|०१|२०१५ उपखण्ड रत्तरीय समिति की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति ं जनपद- टिहरी गढवाल

1	शा डीपेट्र सिटनेत्री	उपजिलाधिकारी	अध्यक्ष	
2	श्री प्रदीप कुमार	उप प्रभागीय वनाधिकारी	सदरभ	उत्त प्रमाण उत्त वन प्रभाग
3.	श्री रिंड मिर्टि	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य / सचिव	My Hamital
4	श्रीभरी कमला हेबी	ની0ડી0સી0 ક્ષેત્ર	रादरस	श्रामती कमला देवी क्षेत्र पंचायत सदस्य रिगोली मल्ली व रिगोली तल्ली
(

परियोजना का नाम:- लीस्तु- छिडियाल- हीन्द्र से रिशोली कोर् कार्रा

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम - रिशा ली तल्ली तहसील जिला - रिहरी शकाल

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत विकास खण्ड़ देवप्रयाग में टीन्ट्र पिलोमोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु (— है0 आरक्षित वन भूमि, — है0 सिविल सोयम भूमि है0 वन पंचायत भूमि) अर्थात कुल ० १९ है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग कीर्तिनगर के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत रिशे ते तेल्ले द्वारा दिनांक 21/1/2015 को सम्पन्न ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापित्त प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं है। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मित से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम होन्द्र के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लोक निर्माण विभाग कीर्तिनगर प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0 ∕ −

नोट यदि किर्मा अविकासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तक्षुसार (दि उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय। उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

दिनांक 21/11 2015 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

क्मांक	ग्राम सभा में उपरिथत वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर	
1	सावन सिंह थे-1361	Hart	
2	2145 15 200	215/50	
3	EIC LOT	ent just	
4	पर्व 100	vm h	+
5	yorne with	bent	Th (
6	210		
7	25/2/2 148	HOW	
8	42-3 ITE	AD-5	
9.	39 35		
10 -	रागेंद्र सिंह	202-	
11-	401 THE	92	
-10	- जाननी डेबी		
13	केमला डिकी		
16-	नेम्या सिंह	4	
1917	7 (** 1 1 2	ama	
		i'	
	•		

ह0/-

